

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

No. 152]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/ VAISAKHA 29, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

सं. 20(43)/2015-एस.पी.-1.-अधिसूचना सं. 20(43)/2015-एस.पी.-1 दिनांक 2.12.2015 द्वारा अधिसूचित उत्पादन सब्सिडी स्कीम के पैरा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस आकलन से संतुष्ट होने के बाद कि चीनी के मूल्य अब चीनी उद्योग की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित स्तर से काफी अधिक हैं, उत्पादन सब्सिडी स्कीम को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लेती है।

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में संख्या 20(43)/2015-एस.पी.-1 तारीख 2.12.2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**New Delhi, the 19th May, 2016

No.20(43)/2015-S.P.-1.— Pursuant to Para 4 of the Production Subsidy Scheme notified vide notification No. 20(43)/2015-S.P.-1 dated 2.12.2015, the Central Government, after having been satisfied with the assessment that sugar prices are now substantially higher than levels required for operational viability of the sugar industry, hereby withdraws the Production Subsidy Scheme with immediate effect.

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, section-1 vide number 20(43)/2015-S.P.-I dated 2.12.2015.